न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-126RAAJodhpur2024-54RTA223 Pratapsingh ors Vs Omprakash etc

01. प्रतापसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जी
02. जालमसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जी
03. गोपालसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जी
04. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जी
समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम चौपासनी जागीर, पंवार कृषि फार्म, पाल रोड, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ओमप्रकाश छाजेड पुत्र भंवरलाल
2. अशोक कुमार छाजेड पुत्र भंवरलाल
3. भंवरलाल छाजेड पुत्र बिरधीचंद
   समस्त जातियान ओसवाल निवासीगण कल्याणपुर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर, हाल निवासी- 1/5 राजू मेंशन घाटकोपर ईस्ट मुम्बई।
4. सुमित्रा देवी पत्नी श्री सोहनलाल बोथरा
5. संगीतादेवी पुत्री पारसमल बोथरा
   समस्त जातियान ओसवाल निवासीगण कालबादेवी रोड मुम्बई, हाल 1/5 राजू मेंशन, घाटकोपर ईस्ट मुम्बई।

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 फरवरी 2024 सहायक कलक्टर दक्षिण जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 112/2021 ओमप्रकाश व अन्य बनाम प्रतापसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुनिल व्यास, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 23 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर दक्षिण जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 112/2021 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम प्रतापसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 323/126 में से रकबा 02.10 बीघा ग्राम चौपासनी जागीर तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वाद का खण्डन किया गया तथा काउंटर क्लेम स्वीकार कर वांछत अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं कांउटर क्लेम के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः -

01\. 1-आया वादीगण खसरा नम्बर 323/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मौजा चौपासनी जागीर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाये जाने एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

(जिम्मे वादीगण)

02\. आया वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जा किए जाने से बेदखली की तिथि तक शास्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है?

(जिम्मे वादीगण)

03\. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने के अधिकारिणी है?

(जिम्मे वादीगण)

04. आया वादीगण का वाद चलने गोग्य नहीं है?

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

05. आया प्रतिवादीगण मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है?

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

06. आया वादीगण का वाद विधिसम्मत होने से वादीगण का वाद लाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है?

(जिम्मे वादीगण)

07. अनुतोष?

तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष से साक्ष्य लेकर उनकी सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 फरवरी 2024 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों से यह भली भांति साबित कर दिया था कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 126 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा पर अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण पुश्तैनी रूप से काबिज है। बेचान दिवस को झुंझारसिंह रेकर्डेड खातेदार ही नही था। ऐसी सूरत में उसे वादग्रस्त आराजी के बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रदर्श 3 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मात्र मुआवजा राशि प्राप्त करने तक ही सीमित था। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेण्ट/वादीगण का वाद को खारिज करना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के तर्को पर कोई गौर न ही फरमाकर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट जालमसिंह के बयान को भली भांति समझा ही नही। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सख्या 1.2.3 व 6 को गलत रूप से बिना किसी आधार एंव साक्ष्य सबूत के रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित करने में वाक्याती भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 5 को

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एंव प्रदर्श 3 व 9 का कानूनी विवेचन किये बिना तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा को पढे बिना उनके विरूद्व निर्णित करने में कानूनी भूल की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनाक 13 फरवरी 2024 को खारिज फरमाया जाकर वादीगण का वाद को खारिज फरमाया जाये एंव प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट् के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स पंजीबद्व विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा रेस्पोडेंट्स को संभलवा दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विरचित तनकीयात पर अपना विस्तृत मत पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बेचाननामा (प्रदर्श 38-ए) एवं नामान्तरकरण संख्या 250 (प्रदर्श 39) के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो./वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी तत्समय के वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार खींवराज बोहराज पुत्र श्री सोहनराज से पंजीबद्व विक्रय विलेख के जरिये खरीदसुदा है। वादीगण/रेस्पो. उक्त विक्रय विलेख की पालना में राजस्व रेकर्ड में

वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। पी. डब्ल्यू. 2 व 4 ने भी अपने सशपथ बयानों में सन् 2000 तक वादीगण का कब्जा स्वीकार किया है। अपीलांट्स का कथन है कि प्रदर्श ए-1 ए-6 दस्तावेज से वादग्रस्त भूमि उनकी पुश्तैनी जायदाद साबित है। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रदर्श ए-1 बेचाननामा जो कि झुंझारसिंह द्वारा खीवराज बोहरा के पक्ष में निष्पादित किया है जिसमें गॉंव पाल की भूमि दर्शाई गई है, जबकि विवादग्रस्त भूमि चौपासनी जागीर में है। अपीलांट के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से साबित होता है कि झुझारसिंह की चौपासनी जागीर के अलावा अन्य कोई भूमि ग्राम पाल में नही रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को इस आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष नहीं मिल सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त होने का कोई भी वैध दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले में विरचित तनकीयात पर अपना विधिक निष्कर्ष पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी को रिसीवरी से मुक्त कर रेस्पोडेंट्स को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर दक्षिण जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या

112/2021 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम प्रतापसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 फरवरी 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर